



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्या-04/2022-23

दिनांक

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत टेकेदारों से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	बीओव्यू धनराशि (रु० लाख में)	घरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य (रु० में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	ग्रेटर आगरा परियोजना के अन्तर्गत लैण्ड पुलिंग हेतु प्रथम चरण ग्राम एत्मादपुर मदरा तहसील व जिला-आगरा के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि के भाग-ए के चिन्हांकन हेतु आर.सी.सी. पिलर लगाये जाने का कार्य।	5.14	10,300/-	560/-	01 माह	ई	खण्ड-1
2	फतेहाबाद रोड स्थित ट्राइडेंट पार्क में पुलिस स्टेशन बूथ बनाने का कार्य।	4.11	9,000/-	560/-	03 माह	ई	खण्ड-2
3	ताजनगरी फेस-2 स्थित जोनल पार्क के सामने स्थित पार्क में पुलिस स्टेशन बूथ बनाने का कार्य।	4.11	9,000/-	560/-	02 माह	ई	
4	शास्त्रीपुरम योजना के समस्त सेक्टर में सीवर का अनुरक्षण का कार्य।	9.79	19,600/-	560/-	09 माह	ई	खण्ड-4
5	कालिन्दी विहार आवासीय योजना स्थित सेक्टर-जी के अन्तर्गत टॉटलेट हेतु चिन्हित भूमि की वाउण्ड्रीवाल, एक्स्प्रेसर, जिम ड्रव्यूपमेन्ट, झूले एवं पौधे लगाने का कार्य।	8.41	17,000/-	560/-	02 माह	ई	खण्ड-5

नियम व शर्तें:-

- उक्त कार्यो की निविदाये दिनांक 12.05.2022 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदाये मुख्य अभियंता कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 12.05.2022 को अपराह्न 3.30 बजे तक डाली जा सकेंगी तथा उसी दिन निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष 4.00 बजे खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियंता कार्यालय से दिनांक 02.05.2022 से 12.05.2022 के अपराह्न 3.00 बजे तक निविदा मूल्य भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
- वांछित घरोहर धनराशि राष्ट्रीय कृत बैंक की FDR/NSC के माध्यम से, जो कि अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक की गई हो। निविदा प्रपत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य है। घरोहर धनराशि के अभाव में निविदा सीलबंद कर दी जायेगी।
- निविदा डालने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की स्थिति का आकलन अवश्य कर ले। समस्त शकाओं का समाधान अधिशासी अभियंता से कर ले। निविदा डालने के उपरान्त निविदादाता का कोई भी पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगी।
- निविदा की दरे शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- निविदा की दरे कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08टीसी-2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफॉरमेंस गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
- सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- प्राधिकरण में पंजीकृत टेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यो के अन्तर्गत-प्रश्नगत कार्यो में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यो हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की वाध्यता न होगी। सफल निविदा दाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अन्तर्गत निविदाये आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- सिविल कार्य उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

मुख्य अभियंता

पत्रांक : 26/डी/सी.ई./2022-23, दिनांक : 30/4/2022

प्रतिलिपि :-

- उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- सचिव महोदय को सूचनार्थ।
- वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आ०का० हेतु।
- प्र० अधिशासी अभियंता (ई-टेन्डरिंग) को वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु।
- प्र० जनसम्पर्क अधिकारी को प्राधिकरण वेबसाइट एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
- समस्त अधि०अभि० अपने से सम्बन्धित कार्य की बीओव्यू समयान्तर्गत प्र०अधिशासी अभियंता (ई-टेन्डरिंग) को प्रेषित करायें।
- नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।

मुख्य अभियंता



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

निविदा सूचना संख्या-05/2022-23

दिनांक

ई-निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्य हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. घनराशि (रु० लाख में)	घरोहर घनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य (रु० में) समस्त करों सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पत्र श्रेणी	अभियंत्रण खण्ड
1	शमशाबाद रोड के निकट जयपुरिया कालोनी के गेट न०-4 से (गोविन्द विहार फेस-1) 18मी० चौड़ी जोनल रोड को रिंग रोड-2 तक मिलाने वाली रोड एवं नाला निर्माण कार्य।	282.26	5,65,000/-	5600/-	06 माह	ए	खण्ड-2

• उक्त कार्यों की निविदायें दिनांक 28.05.2022 को आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 02.05.2022 के अपरान्ह 12.30 बजे से दिनांक 28.05.2022 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

• निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण वेबसाइट www.adaagra.org.in पर देखी जा सकती हैं।

नियम व शर्तें :-

- उक्त कार्यों की निविदायें दिनांक 28.05.2022 को आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिवस अपरान्ह 04:00 बजे खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र दिनांक 02.05.2022 के अपरान्ह 12:30 बजे से दिनांक 28.05.2022 के अपरान्ह 03:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- वांछित घरोहर घनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक वेबसाइट <https://inducollect.indusind.com/pay/index.php> से जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साथ के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी घरोहर घनराशि के यू.टी.आर. नम्बर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन अवश्य कर लें। समस्त शकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक ही निविदा डालने का अधिकार होगा।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्यों में दृष्ट निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करानी होगी।
- निविदा की दरे शब्दों एवं अकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- निविदा की दरे कार्यों की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टीसी-2 दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेंस गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
- सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- पेपर/हॉटमिक्स प्लान्ट के कार्यों में केवल हॉटमिक्स प्लान्ट धारक ठेकेदार ही भाग ले सकते हैं। प्लान्ट स्वामित्व का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा विचारणीय न होगी।
- सिविल कार्य 30 प्र० लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण में निहित होगा, जिसको किसी भी मा० न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- 40 लाख से अधिक घनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यों में Two Bid System के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होंगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
- निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का स्पष्ट उल्लेख कर दें, ताकि असफल निविदादाताओं की घरोहर घनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में RTGS/NEFT के माध्यम हस्तान्तरित की जा सके।
- जिन ठेकेदारों द्वारा घालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, वह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमन्य न होंगे व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

पत्रांक : 266/डी/सी/2022-23, दिनांक : 30/04/2022

प्रतिलिपि :-

- उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
- सचिव महोदय को सूचनार्थ।
- वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ एवं आ०क० हेतु।
- प्र० अधिशासी अभियन्ता (ई-टेन्डरिंग) को वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु।
- प्र० जनसम्पर्क अधिकारी को प्राधिकरण वेबसाइट एवं दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
- समस्त अधि०अभि० अपने से सम्बन्धित कार्यों की बी.ओ.क्यू. समयान्तर्गत प्र०अधिशासी अभियन्ता (ई-टेन्डरिंग) को प्रेषित करायें।
- नोटिस बोर्ड पर धरपा हेतु।

मुख्य अभियन्ता

मुख्य अभियन्ता